

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक— 463 / का०वि० / 2021

दिनांक— 16/11/20

कार्यालय आदेश

कार्यहित में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अभियंताओं के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजित किया जाता है:—

क्र०	अभियंता का नाम	आंवटित कार्य
1	श्री अजय माथुर, अधीशासी अभियंता	सेक्टर- 07 से 12, पछवादून व मसूरी से सम्बन्धित विकास कार्य, एच.आई.जी आई.एस.बी.टी. आवासीय परियोजना, आमवाला तरला आवासीय परियोजना, डोईवाला व हरबर्टपुर बस अडडा तथा नई प्रस्तावित योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
2	श्री श्याम मोहन शर्मा, अधीशासी अभियंता	ऋषिकेश से सम्बन्धित विकास कार्य, राजपुर पार्क, सिटी पार्क, एच.एन.बी. काम्पलैक्स, आर.एफ.डी., आई.एस.बी.टी. काम्पलैक्स, प्रधानमंत्री आवासीय योजना तथा रेलवे स्टेशन रिडेवेलपमेंट से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
3	श्री मनोज कुमार जोशी, प्रभारी अधिशासी अभियंता	सेक्टर 01 से 06 व परवादून से सम्बन्धित विकास कार्य, ट्रांस्पोर्ट नगर आवासीय परियोजना, इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट, धौलास आवासीय परियोजना, एम.आई.जी. एफोडेंबल आवासीय परियोजना से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
4	श्री अतुल गुप्ता, प्रभारी अधिशासी अभियंता	मसूरी क्षेत्र के समस्त कार्यों के प्रभारी का कार्य देखा जायेगा।
5	श्री अजय मलिक, सहायक अभियंता	ऋषिकेश एवं परवादून से सम्बन्धित अवैध निर्माण व विकास कार्य एवं एकल आवासीय भवन मानचित्रों के निस्तारण का कार्य, इस हेतु श्री संजय पंवार, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।
6	श्री सुनील गुप्ता, सहायक अभियंता	सेक्टर- 10, 11 व 12 से सम्बन्धित अवैध निर्माणों का कार्य व इस हेतु श्री संजय सिंह पंवार, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।
7	श्री राजेन्द्र बहुगुणा, सहायक अभियंता	सेक्टर- 05, 06 व 07 से सम्बन्धित अवैध निर्माणों का कार्य व इस हेतु श्री युगान्त रावत, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।
8	श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, सहायक अभियंता	सेक्टर- 02, 03 व पछवादून से सम्बन्धित अवैध निर्माणों का कार्य एवं प्राधिकरण की समस्त योजनाओं व परियोजनाओं का कार्य एवं इस हेतु श्री संजय जगूड़ी, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

9	श्री अभिषेक भारद्वाज, सहायक अभियंता	सेक्टर 01 से 12, पछवादून व परवादून के विकास कार्य एवं मुख्यालय से सम्बन्धित कार्य। इस हेतु श्री औंकार नेगी, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।
10	श्री सुधीर गुप्ता, सहायक अभियंता	सेक्टर - 08 व 09 तथा मसूरी से सम्बन्धित अवैध निर्माणों का कार्य व इस हेतु श्री सुरेन्द्र चौहान, अवर अभियंता (पी.एम.यू. सैल) को इनके साथ सम्बद्ध किया जाता है।
11	श्री निशान्त कुकरेती सहायक अभियंता	सेक्टर- 01 व 04 से सम्बन्धित अवैध निर्माणों का कार्य देखा जायेगा।
12	श्री गोविन्द सिंह, अवर अभियंता	सेक्टर-1 से 6 व परवादून से सम्बन्धित एकल आवासीय भवन व शमन मानचित्रों के निस्तारण का कार्य।
13	श्री अनुज पाण्डे, अवर अभियंता	सेक्टर-7, 8, व 10 से सम्बन्धित एकल आवासीय भवन व शमन मानचित्रों के निस्तारण का कार्य तथा मसूरी क्षेत्र से सम्बन्धित एकल / व्यवसायिक / शमन मानचित्रों का निस्तारण का कार्य।
14	श्री प्रशान्त सेमवाल, अवर अभियंता	सेक्टर-9,11,12, पछवादून से सम्बन्धित एकल आवासीय भवन व शमन मानचित्रों के निस्तारण का कार्य देखेंगे। सेक्टर-07 से 12 व पछवादून व मुख्यालय से संबंधित विकास कार्य।
15	श्री महिपाल अधिकारी, अवर अभियंता	ऋषिकेश क्षेत्र से समर्स्त कार्य , से सम्बन्धित एकल आवासीय, व्यवसायिक भवन व शमन मानचित्रों के निस्तारण का कार्य।
16	श्री संजीवन चन्द्र सूंठा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	आई.टी. प्रभार, मीडिया, मार्केटिंग एवं लोक सम्पर्क का कार्य देखा जायेगा।

देहरादून क्षेत्र के समर्स्त प्रकार के व्यवसायिक मानचित्रों से सम्बन्धित पत्रावली का कार्य श्री गोविन्द सिंह, अवर अभियंता व श्री प्रशान्त सेमवाल, अवर अभियंता द्वारा किया जायेगा।

प्रस्तावित समर्स्त क्षेत्र में व्यवसायिक मानचित्रों की पत्रावली अवर अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

प्रस्तावित आवासीय मानचित्र की पत्रावलिया सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से अधिशासी अभियंत के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।


एकल आवासीय शमन मानचित्र पत्रावली सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से संयुक्त सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

समर्त क्षेत्र के अनआवासीय शमन मानचित्र की पत्रावली संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

मसूरी के एकल आवासीय प्रस्तावित / शमन से सम्बन्धित समर्त पत्रावलिया अवर अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति पद्धति में होने वाले Re-assign का कार्य अधीक्षण अभियंता के द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


(बृजेश कुमार संत)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


प्रतिलिपि :— निम्नाकिंत को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
2. संयुक्त सचिव, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
3. मुख्यलेखाधिकारी, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
4. अधीक्षण अभियंता, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।
5. संबंधित अधिशासी अभियंता/सहायक/अवर अभियंता।
6. अनुसचिव/रथापना प्रभारी, म.दे.वि.प्रा., दे.दून।
7. कम्प्यूटर अनुभाग, म.दे.वि.प्रा. दे.दून।


उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
